रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2018/माघ 13, 1939
No. 40] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2018/MAGHA 13, 1939

## पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

## पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2018

**सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8.—**पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) तथा (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामतः -

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2018 है।
2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में:-

(I) विनियम 3 के उप-विनियम (क) में, नया उप-विनियम (vii) निम्नलिखित रूप से जोड़ा जायेगा :

(vii) परन्तु, यदि नियोक्ता ये प्रमाणित करता है कि अभिदाता अपने सम्बंधित कार्यालय की सेवाओं से निःशक्तता या शारीरिक विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त कर दिया गया है, तो ऐसे मामले में निकासी को जैसा उप-विनियम (क) के तहत निर्दिष्ट है उस प्रकार माना जायेगा।

(II) विनियम 4 के उप-विनियम (क) में, नए उप-विनियम (v) को निम्नलिखित रूप से जोड़ा जायेगा :

(v) परन्तु, यदि अभिदाता शारीरिक रूप से असक्षम या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है जिसके कारणवश वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अपने व्यक्तिगत खाते को जारी रखने में असक्षम है, तो ऐसे मामले में निकासी को उप-विनियम (क) के प्रावधानों के अनुसार माना जायेगा, जो अभिदाता के, सरकारी शल्यकार या चिकित्सक (जो अभिदाता की इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो) द्वारा प्रदान किया गया विकलांगता प्रमाणपत्र जमा कराने के अधीन होगा, जिसमें विकलांगता की प्रवृत्ति तथा सीमा वर्णित हो तथा जो ये भी प्रमाणित करता हो कि :

**क.** प्रभावित अभिदाता अपनी नियमित सेवाएँ प्रदान करने की स्थिति में नहीं है तथा वास्तव में ऐसी संभावना है कि प्रभावित अभिदाता अपने जीवन की शेष अवधि में कार्य करने में असमर्थ होगा ; तथा

**ख.** उस सरकारी शल्यकार या चिकित्सक के मत में विकलांगता 75 प्रतिशत से अधिक हो (जो अभिदाता की इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो)

(III) विनियम 5 के उप-विनियम (क) में, नया उप-खंड (iii) निम्नलिखित रूप से जोड़ा जायेगा :

(iii) परन्तु, यदि अभिदाता शारीरिक रूप से अक्षम है या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है जिसके कारणवश वह राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अपने व्यक्तिगत खाते को जारी रखने में असक्षम है, तो ऐसे मामले में निकासी को उप-विनियम (क) के प्रावधानों के अनुसार माना जायेगा, जो अभिदाता के, सरकारी शल्यकार या चिकित्सक (जो अभिदाता की इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो) द्वारा प्रदान किया गया विकलांगता प्रमाणपत्र जमा कराने के अधीन होगा, जिसमें विकलांगता की प्रवृत्ति तथा सीमा वर्णित हो तथा जो ये भी प्रमाणित करता हो कि :

**क.** प्रभावित अभिदाता अपनी नियमित सेवाएँ प्रदान करने की स्थिति में नहीं है तथा वास्तव में ऐसी संभावना है कि प्रभावित अभिदाता अपने जीवन की शेष अवधि में कार्य करने में असमर्थ होगा ; तथा

**ख.** उस सरकारी शल्यकार या चिकित्सक के मत में विकलांगता 75 प्रतिशत से अधिक हो (जो अभिदाता की इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो)

(IV) विनियम 8 के उप-विनियम (1)(अ) में, नया उप-खंड (ङ) निम्नलिखित रूप से जोड़ा जायेगा :

(ङ) अभिदाता की विकलांगता या अक्षमता के कारण होने वाले चिकित्सकीय तथा आकस्मिक खर्चों को पूरा करने हेतु

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./1414/17]

**पादलेख:**

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 11 मई 2015 को, सं.पीएफआरडीए/12 / आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।
2. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 10 अगस्त 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 / आरजीएल /139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।
3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 6 अक्टूबर 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।

**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd February, 2018

**Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018**

**No. PFRDA/12/RGL/139/8.—** In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 52 read with sub-clause(g), (h), and (i) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely,-

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015:-

( I ) . In regulation 3, in sub-regulation (a), new sub-regulation (vii) shall be added as follows:

(vii) provided that if the employer certifies that the subscriber has been discharged from the services of the concerned office on account of invalidation or disability, the exit shall be determined as specified under sub-regulation(a).

( II ) . In regulation 4, in sub-regulation (a), new sub-regulation (v) shall be added as follows:

(v) provided that a subscriber is physically incapacitated or has suffered a bodily disability leading to his incapability to continue with his individual pension account under National Pension System, the exit in such cases shall be determined as per the provisions of sub regulation (a) subject to the subscriber submitting a disability certificate from a Government surgeon or Doctor (treating such disability or invalidation of subscriber) stating the nature and extent of disability and also certifying that:

a. the affected subscriber shall not be in a position to perform his regular duties and there is a real possibility of the affected subscriber, being not able to work for the remaining period of his life.; and

b. Percentage of disability is more than seventy five percent. in the opinion of such Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber).

( III ) In regulation 5, in sub-regulation (a), new sub-clause (iii) shall be added as follows:

(iii) provided that a subscriber who is physically incapacitated or has suffered a bodily disability leading to his incapability to continue with his individual pension account under National Pension System, the exit in such cases shall be determined as per the provisions of sub-regulation (a) subject to the subscriber submitting a disability certificate from a Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber) stating the nature and extent of disability and also certifying that:

a. the affected subscriber shall not be in a position to perform his regular duties and there is a real possibility of the affected subscriber, being not able to work for the remaining period of his life.; and

b. Percentage of disability is more than seventy-five percent. in the opinion of such Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber).

( IV ). In regulation 8, in sub-regulation (1) (A), a new sub-clause (e) shall be added as follows:

**(e ) to meet medical and incidental expenses arising out of the disability or incapacitation suffered by the subscriber.**

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./1414/17]

IndiaCode

**Footnote:**

1. The Principal Regulations ,The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide No. PFRDA/12/ RGL/139/8.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 10th August 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 06th October 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.02.05 12:26:36 +05'30'